अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम अराई (अजमेर)
व इजलास श्रीमती नीतू मीना (आर.ए.एस.)
मुकदमा नम्बर 18/2023 उनवान मिश्री बनाम रामरतन

1. मिश्री पुत्र श्री बोदू जाति जाट आयु लगभग 65 साल निवासी ग्राम आकोडिया तहसील अराई जिला अजमेर राजस्थान। –वादीगण

बनाम

1. रामरतन पुत्र सरलाल
2. श्योजी पुत्र बद्री
3. रामधन पुत्र सरलाल
4. रामनारायण पुत्र रंगलाल
5. सकराम पुत्र मथुरा
6. बालू पुत्र मथुरा
7. प्रियंका पुत्र श्रीगोपाल
8. पांचू पुत्र गोपाल
9. रामकन्या पत्नी श्रीगोपाल
10. रामस्वरूप पुत्र श्री गोपाल

सर्व जाति जाट सर्व निवासी ग्राम आकोडिया तहसील अराई जिला अजमेर राजस्थान।

11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील अराई जिला अजमेर राजस्थान।
12. बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा आकोडिया जरिये शाखा प्रबन्धक , तहसील अराई जिला अजमेर राज.।

–प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

आदेश

निर्णय दिनांक ....

उपस्थित : वकील वादी श्री रामेश्वरलाल चौधरी

संक्षिप्त में वाद का सार इस प्रकार है कि वादी की ओर से अधिवक्ता श्री रामेश्वरलाल चौधरी ने उपस्थित होकर एक वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राज.का.अधि.1955 के तहत पेश कर निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त कब्जे काश्त की कृषि भूमि ग्राम आकोडिया पटवार हल्का आकोडिया स्थित कृषि भूमि खसरा संख्या 1042, 1044, 1163, 1164, 1272, 2284/1039, 2289/1044 कुल खसरा 07 कुल रकबा 09.8295 हैक्टैयर तथा खसरा संख्या 2186/831, 2190/840, 839, 840 कुल किता 04 कुल रकबा 04.5305 हैक्टैयर है, जिसमें उक्त भूमि का राजस्व रिकार्ड के अनुसार अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी **By metes and bounds** के आधार पर बंटवारा नहीं हुआ है जिससे से नक्शा ट्रेस में अलग अलग बंटवारा नहीं है जिससे वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य मनमुटाव हो जाता है तथा लडाई झगडे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। साथ ही बिना विधिक बंटवारे के ही प्रतिवादीगण उक्त भूमि का बेचान करना चाह रहें है जिससे वादीगण को काश्त करने में बाधा उत्पन्न होगी। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि उपरोक्त वर्णित भूमि राजस्व रिकार्ड के अनुसार अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर बंटवारा कर दिया जावे।

वादी का वाद दिनांक 06.06.2023 को वाद को रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण की तलबी करवाई गयी जो कि दिनांक 27.07.2023 तक प्राप्त हुई। तलबी के उपरान्त प्रतिवादी संख्या 01, 07, 09, 10 की ओर से वकील श्री प्रदीप परसोया ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 01 से 10 की ओर से जवाबदावा पेश कर निवेदन किया गया कि वादअधीन भूमि का यदि रास्ता छोडते हुये बंटवारा कर दिया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। प्रतिवादी संख्या 11 से 12 का निश्चित समयावधि में जवाब नहीं आने के कारण दिनांक 21.09.2023 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 01 से 10 की ओर से सहमति जवाबदावा एवं प्रतिवादी संख्या 11 से 12 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही होने से तनकीयात कायम नहीं की गई। वाद पत्र में दिनांक 19.10.2023 को प्राथमिक डिक्री की गई। जिसके अनुक्रम में तहसीलदार अराई द्वारा दिनांक 08.11.2024 को बंटवारा प्रस्ताव पेश किया जिसपर दिनांक 13.08.2025 को वकील वादी की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया । अतः तहसीलदार अराई द्वारा पेश बंटवारा प्रस्ताव के अनुसार वादअधीन भूमि का निम्नानुसार बंटवारा किया जाता है, कमिश्नर

उपखण्ड अधिकारी
अराँई (अजमेर)

रिपोर्ट तथा संलग्न नवशा अन्तिम आदेश का एक भाग होंगें तथा उसी के अनुसार वादअधीन भूमि का बंटवारा किया जाता है:–

खाता संख्या 439

क्र. सं	नाम खातेदार	खसरा संख्या	रकबा(हैक्टेयर)	किस्म	लगान	रंग
1.	मिश्री पुत्र बोदू हि. पूर्ण जाति जाट सा. देह खातेदार राहिन बडौदा राज. क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा आकोडिया	2289 / 1044 / 1 2284 / 1039 1163 / 1	1.9901 हैक्टैयर 0.2832 हैक्टैयर 2.1479 हैक्टैयर	बंजर01(1.8364) बारानी01(0.1537) बंजर01 चाही डोल0.0283 चाही01 0.2953 चाहीA(0.6877) प.बारानी(0.6189) बंजर01 (0.2589)	37.39	नारंगी
		कुल किता 03	कुल रकबा 04.4212 हैक्टेयर			
2.	पांचू, रामस्वरूप पुत्र गोपाल हिस्सा 1/16 हि.ब. रामकन्या पत्नि स्व. गोपाल हिस्सा 1/32 राहिन बडौदा राज. क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा आकोडिया, प्रियंका पुत्री गोपाल हिस्सा 1/32 (बिनारहन), रामरतन रामधन पुत्र सरलाल हिस्सा 1/4 हि. ब., रामनारायण पुत्र रंगलाल हिस्सा 1/4, श्योजी पुत्र बद्री हिस्सा 1/8, बालू सकराम पुत्र मथुरा हिस्सा 1/4 हि.ब. सर्व जाति जाट सा. देह खातेदार बडौदा राज. क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा आकोडिया	1042 2289 / 1044 / 1 1163 / 3	00.8414 हैक्टैयर 1.4320 हैक्टैयर 2.1479 हैक्टेयर	बंजर 01 बारानी01 चाही डोल0.0283 चाही01 0.2953 चाहीA(0.6876) प.बारानी(0.6189) बंजर01 (0.2589) गै.मु.रास्ता (0.0328)	37.39	गहरा हरा
		कुल किता 03	कुल रकबा 4.4213 हैक्टेयर			
3.	मिश्री पुत्र बोदू हि. 1/2, पांचू, रामस्वरूप पुत्र गोपाल हिस्सा 1/36 हि.ब., रामकन्या पत्नि स्व. गोपाल हिस्सा 1/64, रामरतन रामधन पुत्र सरलाल हिस्सा 1/8 हि.ब., रामनारायण पुत्र रंगलाल हिस्सा 1/8, श्योजी पुत्र बद्री हिस्सा 1/16, बालू सकराम पुत्र मथुरा हिस्सा 1/8 हि.ब. सर्व जाति जाट सा. देह खातेदार बडौदा राज. क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा आकोडिया प्रियंका पुत्री गोपाल हिस्सा 1/64 (बिनारहन),	1044 1164 1272 1163 / 2	0.8737 हैक्टेयर 0.0243 हैक्टैयर 0.0081 हैक्टैयर 0.0809 हैक्टैयर	गै.मु.पाल गै.मु. चाह गै.मु. मोरी गै.मु. रास्ता	–	पीला
		कुल किता 04	कुल रकबा 00.9870 हैक्टेयर			

खाता संख्या 440

क्र. सं	नाम खातेदार	खसरा संख्या	रकबा(हैक्टेयर)	किस्म	लगान	रंग
1.	मिश्री पुत्र बोदू हि. पूर्ण जाति जाट सा. देह खातेदार राहिन बडौदा राज. क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा आकोडिया	2186 / 831 840 / 3	0.4207 1.0139	बा0अव्वल बंजर–1	7.21	नारंगी
		कुल किता 02	कुल रकबा 1.4346 हैक्टेयर			

	रामस्वरूप पुत्र गोपाल हिस्सा 1/16 हि.ब. रामकन्या पत्नि स्व. गोपाल हिस्सा 1/32 राहिन बडौदा राज. क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा आकोडिया, प्रियंका पुत्री गोपाल हिस्सा 1/32 (बिनारहन), रामरतन रामधन पुत्र सरलाल हिस्सा 1/4 हि. ब., रामनारायण पुत्र रंगलाल हिस्सा 1/4, श्योजी पुत्र बद्री हिस्सा 1/8, बालू सकराम पुत्र मथुरा हिस्सा 1/4 हि.ब. सर्व जाति जाट सा. देह खातेदार बडौदा राज. क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा आकोडिया	840/1	2.8693	बंजर 01 बारानी अव्वल बारानी01 चाही डोल0.0283 चाही01 0.2953 चाहीA(0.6876) प.बारानी(0.6189) बंजर01 (0.2589) गै.मु.रास्ता (0.0328)	14.38	गहरा हरा
		कुल किता 01	कुल रकबा 2.8693 हैक्टेयर			
3.	मिश्री पुत्र बोदू हि. 1/3, पांचू, रामस्वरूप पुत्र गोपाल हिस्सा 1/24 हि.ब., रामकन्या पत्नि स्व. गोपाल हिस्सा 1/48, रामरतन रामधन पुत्र सरलाल हिस्सा 1/6 हि.ब., रामनारायण पुत्र रंगलाल हिस्सा 1/6, श्योजी पुत्र बद्री हिस्सा 1/12, बालू सकराम पुत्र मथुरा हिस्सा 1/6 हि.ब. सर्व जाति जाट सा. देह खातेदार बडौदा राज. क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा आकोडिया प्रियंका पुत्री गोपाल हिस्सा 1/48 (बिनारहन),	2190/840 839 840/2	0.243 0.0405 0.1618	गै.मु.चाह गे0मु0चाह बा0अव्वल(गे0मु0रास्ता)	—	पीला
		कुल किता 03	कुल रकबा 0.2266 हैक्टेयर			

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षरों के खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
अराई (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
अराई (अजमेर)